

बिहार सरकार
परिवहन विभाग
सं0सं0-02/कर माफी-02/2015 परि0
आदेश

पटना, दिनांक-

जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना के पत्रांक-4409, दिनांक-21.03.2016 द्वारा Office of the Inspector General, Frontier Hqrs, SSB, Patna (भारत सरकार) के 04 (चार) नये वाहन (बस) एवं पत्रांक-2104, दिनांक-26.03.2018 द्वारा 02 (दो) मोटर साईकिल के कर माफी की अनुशंसा की गयी है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है :-

Sl.	Type Vehicle	Chesis NO.	Seating Capacity	Period of Tax	Total Amount (in Rs.)	
1	BUS	MAT373527H0K10936	44	20-02-2018 TO 19-02-2019	Tax	29,699.00
					RSF	298.00
2	BUS	MAT373527H0K11037	44	20-02-2018 TO 19-02-2019	Tax	29,699.00
					RSF	298.00
3	BUS	MAT373527H0K11038	44	20-02-2018 TO 19-02-2019	Tax	29,699.00
					RSF	298.00
4	BUS	MAT373527H0K10933	44	20-02-2018 TO 19-02-2019	Tax	29,699.00
					RSF	298.00
5	MOTOR CYCLE	MBLKCS302JGA00522	02	One Time Tax	Tax	5,079.00
					RSF	612.00
6	MOTOR CYCLE	MBLKCS307JGA00516	02	One Time Tax	Tax	5,079.00
					RSF	612.00
TOTAL						1,31,370.00

बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा-15 के सगत प्रावधानों के अंतर्गत निर्गत विभागीय अधिसूचना संख्या-910, दिनांक-23.02.2004 के आलोक में केन्द्रीय स्वामित्व वाले मोटर वाहनों के कर/अतिरिक्त कर से विमुक्ति प्रदान करने की शक्ति सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को प्रत्यायोजित है।

अतः जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना द्वारा उपर्युक्त वाहन के कर माफी हेतु की गयी अनुशंसा एवं विभागीय अधिसूचना संख्या-910, दिनांक-23.02.2004 के आलोक में Office of the Inspector General, Frontier Hqrs, SSB, Patna (भारत सरकार) के उपर्युक्त वाहन के संगणित कुल कर ₹ 1,31,370.00 (एक लाख एकतीस हजार तीन सौ सत्तर रुपये मात्र) में से ₹ 1,28,954.00 (एक लाख अठाईस हजार नौ सौ चौवन रुपये मात्र) की विमुक्ति दी जाती है, क्योंकि बिहार मोटरवाहन करधान (संशोधन) अधिनियम, 2016 (बिहार अधिनियम 11, 2016) में सड़क सुरक्षा उपकर/अर्थदण्ड से माफी का कोई प्रावधान नहीं होने के कारण सड़क सुरक्षा उपकर/अर्थदण्ड की राशि देय होगा। यह कर माफी इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि गणना के पुनः सत्यापनोपरान्त सही पाये जाने पर ही यह आदेश प्रभावी होगा।


उपर्युक्त प्रस्ताव पर सचिव, परिवहन विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-

विशेष कार्य पदाधिकारी,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक- 26/7/18

निबंधित/ ज्ञापांक :- 02/कर माफी-02/2015 4825
ई-मेल प्रतिलिपि :- जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना/Office of the Inspector General, Frontier Hqrs, SSB, Patna को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


विशेष कार्य पदाधिकारी,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार
परिवहन विभाग
सं0सं0-02/कर माफी-02/2015 परि0
आदेश

पटना, दिनांक-

जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना के पत्रांक-4409, दिनांक-21.09.2018 द्वारा Office of the Inspector General, Frontier Hqrs, SSB, Patna (भारत सरकार) के 04 (चार) नये वाहन (बस) एवं पत्रांक-2104, दिनांक-26.03.2018 द्वारा 02 (दो) मोटर साईकिल के कर माफी की अनुशंसा की गयी है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है :-

Sl.	Type Vehicle	Chesis NO.	Seating Capacity	Period of Tax	Total Amount (in Rs.)	
1	BUS	MAT373527H0K10936	44	20-02-2018 TO 19-02-2019	Tax	29,699.00
					RSF	298.00
2	BUS	MAT373527H0K11037	44	20-02-2018 TO 19-02-2019	Tax	29,699.00
					RSF	298.00
3	BUS	MAT373527H0K11038	44	20-02-2018 TO 19-02-2019	Tax	29,699.00
					RSF	298.00
4	BUS	MAT373527H0K10933	44	20-02-2018 TO 19-02-2019	Tax	29,699.00
					RSF	298.00
5	MOTOR CYCLE	MBLKCS302JGA00522	02	One Time Tax	Tax	5,079.00
					RSF	612.00
6	MOTOR CYCLE	MBLKCS307JGA00516	02	One Time Tax	Tax	5,079.00
					RSF	612.00
TOTAL						1,31,370.00

बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा-15 के संगत प्रावधानों के अंतर्गत निर्गत विभागीय अधिसूचना संख्या-910, दिनांक-23.02.2004 के आलोक में केन्द्रीय स्वामित्व वाले मोटर वाहनों के कर/अतिरिक्त कर से विमुक्ति प्रदान करने की शक्ति सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को प्रत्यायोजित है।

अतः जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना द्वारा उपर्युक्त वाहन के कर माफी हेतु की गयी अनुशंसा एवं विभागीय अधिसूचना संख्या-910, दिनांक-23.02.2004 के आलोक में Office of the Inspector General, Frontier Hqrs, SSB, Patna (भारत सरकार) के उपर्युक्त वाहन के संगणित कुल कर ₹ 1,31,370.00 (एक लाख एकतीस हजार तीन सौ सत्तर रुपये मात्र) में से ₹ 1,28,954.00 (एक लाख अठाईस हजार नौ सौ चौवन रुपये मात्र) की विमुक्ति दी जाती है, क्योंकि बिहार मोटरवाहन करारोपण (संशोधन) अधिनियम, 2016 (बिहार अधिनियम 11, 2016) में सड़क सुरक्षा उपकरण/अर्थदण्ड से माफी का कोई प्रावधान नहीं होने के कारण सड़क सुरक्षा उपकरण/अर्थदण्ड की राशि देय होगा। यह कर माफी इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि गणना के पुनः सत्यापनोपरान्त सही पाये जाने पर ही यह आदेश प्रभावी होगा।

उपर्युक्त प्रस्ताव पर सचिव, परिवहन विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-

विशेष कार्य पदाधिकारी,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक-

निबंधित/ ज्ञापांक :- 02/कर माफी-02/2015

ई-मेल

प्रतिलिपि :- जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना/Office of the Inspector General, Frontier Hqrs, SSB, Patna को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

विशेष कार्य पदाधिकारी,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक-

ज्ञापांक :- 02/कर माफी-02/2015

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/बजट पदाधिकारी, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विशेष कार्य पदाधिकारी,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।